संख्या 104 /2019 / 1171 /चार-2019

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 मई, 2019

विषय:- राजभवन परिसर में स्वामी विवेकानन्द जी की ब्रांज से निर्मित 12.5 फिट की एक मूर्ति की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-289/ सं0नि0-1(8)/2018-19 खण्ड-2 ,दिनांक 09 मई,2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है राजभवन परिसर में स्वामी विवेकानन्द जी की ब्रांज से निर्मित 12.5 फिट की एक मूर्ति निर्माण हेतु निर्धारित धनराशि रू0 20,16,000/- का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 10,08,000/- (रूपये दस लाख आठ हजार मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त रू0 10,08,000/- (रूपये दस लाख आठ हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 , दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन तथा इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू0 10,08,000/- (रूपये दस लाख आठ हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04-कला तथा संस्कृति -106 – संग्रहालय – 09 -महापुरूषों की मूर्तियों का निर्माण – 24 - वृहद निर्माण कार्य मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 , दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 104/2019/1171 /चार-2019 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(लुटावन राम)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।